30.10.18 | [illegible] के अपरध मुकदमा मौजूदगी के होने
कारण ज्ञात दिनांक 30.10.18 को
विचाराधीन सामान्य मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 15.1.19 को
की जावेगी।

15.1.19 वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस T.9 दिनांक 18.1.19 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

18.1.19 वकील फरीकैन उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस T.9 दिनांक 23.1.19 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

23.1.19 वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस T.9 दिनांक 24.1.19 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

24.1.19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस T.9 सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने यह प्रार्थना पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि आराजीयात ख०नं० 1795 ला० 1803, 1805 ला० 1810, 1816 कस्बा करौली सापलान के मौरूसी कब्जे काश्त की है जो बाबा गुल्लर के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी गुल्लर का सजरा वाद पत्र मे दर्ज किया है। जिसके अनुसार उक्त आराजीयात के गोरधन का पुत्र भैरोलाल 1/3 हिस्से का तथा लूटरिया के ~~बनारसीलाल~~ मनफूल हल्के, धन्ना के 1/3 हिस्से के तथा प्रति० नं० 2 मोंगया के 1/3 हिस्से के काश्तकार है। उक्त आराजी मे मोंगया का भाग 1/15 हिस्सा ही बनता है। मोंगया का दिमाग सही तरीके से काम नही करता है सापलान से छिपाकर मोंगया को करौली लाकर जूस मे नशे की चीज डालकर बयनामा दिनांक 20.6.11 को करा लिया है। दि० 6.7.11 को

18/1/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

हम सायलान मजदूरी कर वापिस आये तो गोपाल लाल मौके पर ट्रेक्टर लेकर हमारी जमीन पर आ गया और उसे रोकने की चेष्टा की तो उसने कहा कि तुम्हारे पिता से मैंने 4 बीघा भूमि खरीदली है जो चाहुंगा वही करूंगा गोपाल एक स्ट्रेन्जर व्यक्ति है। उसको भूमि पर काबिज होने व अपने नाम नामान्तकरण कराने से रोकना आवश्यक है। अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैर सायल को ता फैसला वाद प्रश्न मे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

गैर सायल ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि सायलान मुल्जर के जीवन काल मे पैदा नही हुये थे मोग्या विवादित भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार था जिसने स्वेच्छिकार राजी खुशी अपनी जरूरत की पूर्ती करने हेतु नकद 1,75,000/- रूपये प्राप्त कर बयनामा गैरसायल के हक मे करा कर कब्जा भूमिपर बयनामा दिनांक 20-6-11 को कराया है। योग खरीद से गैरसायल भूमि पर काबिज है। सायलान मोग्या के वारिसान नही है। मोग्या ने राजीखुशी बयनामा कराया है। कोई धोखा मोग्या से गैरसायल द्वारा नही किया गया है। जमीनो की कीमत बढ जाने के कारण यह गलत तथ्यो पर दावा व द०र० प्रस्तुत की है। अन्त मे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि 1/3 हिस्सा को सायलान के पिता मोग्या द्वारा दिनांक 20-6-11 को 175000/- रूपये मे विक्रय कर बयनामा पंजीयन कराया है। बयनामा दिवस से भूमि के 1/3 हिस्से पर गैरसायल काबिज काश्त होना बयनामा से प्रकट होता है। सायलान द्वारा बयनामा को सक्षम न्यायालय मे आज दिनांक [illegible]

पर काबिज होने व अपने नाम नामान्तरण कराने से रोकना आवश्यक है। अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैर सायल को ता फैसला वाद पक्ष मे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

गैर सायल ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि सायलान मुल्ज के जीवन काल मे पैदा नही हुये थे मोग्या विवादित भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार था जिसने सविकार राजी खुशी अपनी जरूरत की पूर्ति करने हेतु नकद 1,75,000/- रुपये प्राप्त कर बयनामा गैरसायल के हक मे करा कर कब्जा भूमि पर बयनामा दिनांक 20-6-11 को कराया है। मोम खरीद से गैरसायल भूमि पर काबिज है। सायलान मोग्या के वारिसान नही है। मोग्या मे राजीखुशी बयनामा कराया है। कोई धोखा मोग्या से गैरसायल द्वारा नही किया गया है। जमीनो की कीमत बढ जाने के कारण यह गलत तथ्यो पर दावा व द०प्र० प्रस्तुत की है। अन्त मे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि 1/3 हिस्सा को सायलान के पिता मोग्या द्वारा दिनांक 20-6-11 को 175000/- रुपये मे विक्रय कर बयनामा पंजीयन कराया है। बयनामा दिवस से भूमि के 1/3 हिस्से पर गैरसायल काबिज काश्त होना बयनामा से प्रकट होता है। सायलान द्वारा बयनामा को सक्षम न्यायालय मे आज दिवस तक चैलेन्ज भी नही किया गया है। इस प्रकार सायल का प्राईमाफेसी केस पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से प्रकट नही होता है। अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष मे नही है। यदि गैरसायल को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तब गैरसायल जो कि खरीददार केता है को ही अपूर्णीय क्षति व असुविधा होने से इंकार नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र सायलान चलने योग्य नही है।

5-7

उपखण्ड ... [illegible]
करौली (राज०)

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः प्रार्थना पत्र सायालान विरुद्ध गैर सायलान खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होकर मूल दावा के साथ शामिल रहे। निर्णय सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	